

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: प.1(1)चिस्वा/ग्रुप-2/2024

जयपुर, दिनांक :

आदेश

मा. राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एस. बी. सिविल याचिका संख्या 5701/24 में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 09.04.2024 की पालना में डा. वी. डी. मीना जो वर्तमान में मा. राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा अपील संख्या 4950/2024 में दिनांक 21.03.2024 द्वारा पारित स्थगन आदेशों की पालना में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, शाहपुरा के पद पर कार्य कर रहे हैं, को मा. न्यायालय के निर्णय के अध्याधीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, शाहपुरा कार्यालय की सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम 3 के अन्तर्गत कार्यालयाध्यक्ष घोषित करते हुए आहरण एवं वितरण अधिकारी की शक्तियां एतद द्वारा प्रदान की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(प्रीति माथुर)

संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं
स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग एवं
पंचायती राज (चिकित्सा) विभाग

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
3. जिला कलक्टर, शाहपुरा/भीलवाडा
4. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर
5. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन राज.
6. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राज.
7. संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, राज.
8. कोषाधिकारी, शाहपुरा/भीलवाडा
9. संबंधित अधिकारी
10. कम्प्यूटर सेल/ निजी /रक्षित पत्रावली।
11. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश आज ही विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।

संयुक्त शासन सचिव

RajKaj Ref
7676894



Signature valid

Digitally signed by Preeti Mathur
Designation: Joint Secretary To
Government
Date: 2024.05.31 16:35:53 IST
Reason: Approved